राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांक :- 4645 दिनांक :- 12/02/2024

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा में सामान्य पंजीकरण योजना उच्च आय वर्ग के पूर्व पंजीकृत प्रतिक्षारत आवेदकों को महावीर नगर परिजात सेक्टर–10 में उपलब्ध उच्च आय वर्ग 5 आवासों का आवंटन "वेब बेस्ड प्रणाली" के द्वारा ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से वरियतानुसार किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवास आवंटन लॉटरी का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक, समय एवं स्थान
1	लॉटरी हेतु योग्य / अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	15.02.2024, सायं 5.00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	20.02.2024, सायं 5.30 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की अंतिम स्थाई सूची का प्रकाशन	22.02.2024, सायं 5.00 बजे
4	आवास आवंटन लॉटरी का आयोजन	26.02.2024, दोपहर 2.00 बजे
5	संबन्धित कार्यालय	उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा

नोट :– (1) आवेदक जिन्होने पूर्व ग्रहण राशि की किश्त जमा करा दी है तथा रसीद की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हैं, उन्हें ही लॉटरी में सम्मलित किया जावेगा। यदि कोई आवेदक पूर्व ग्रहण राशि की जमा रसीद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने के कारण प्रस्तावित आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है, तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा मण्डल की कोई जिम्मेदारी नही होगी एवं भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप स्वीकार्य नही होगा। (2) लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नही किये जायेगे। (3) आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित आवास आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। (4) आवास आवंटन लॉटरी हेतु योग्य / अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट **http://rhb.rajasthan.gov.in** पर तथा वृत्त कार्यालय कोटा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। (5) लॉटरी में अध्यक्ष, जिला आवंटन समिति का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

राज.संवाद/सी/23/13018 उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा